न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I,** (RAS)
राजस्व वाद संख्या :– **47 / 2025** GCMS 2025/92
वादीः–

1. फूलाराम पुत्र श्री चुन्नीलाल उर्फ पुसाराम जाति बावरी निवासी ग्राम मांगलोदी तहसील कुचामन सिटी, हाल निवासी रामसागर कॉलोनी, बोरावड तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन राज.।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. मोहनी देवी पुत्री चुन्नीलाल उर्फ पुसाराम जाति बावरी निवासी रामसागर कॉलोनी, बोरावड तहसील मकराना।
2. नानूदेवी पत्नी प्रभुराम जाति बावरी
3. सरजू देवी पत्नी भंवरलाल जाति बावरी निवासियान ग्राम मांगलोदी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।
4. उपपंजीयन अधिकारी तहसील कुचामन सिटी
5. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार जी कुचामन सिटी

वाद वास्ते इस्तकरार हक, भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :- 24/03/2025

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत इस वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि मौजा ग्राम मांगलोदी पटवार हल्का सरगोठ तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 47 रकबा 2.8600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.9300 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 3.7900 हैक्टेयर कृशि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 के पिता का 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण के साथ आया हुआ है। वादपत्र के साथ जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस संलग्न है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 का सजरा खानदान निम्नवत पेश है।

चुन्नीलाल उर्फ पुसाराम पुत्र टिकूराम (फौत)

फुलाराम (पुत्र)	मोहनी देवी (पुत्री)

वादी एंव प्रतिवादीगण सं. 1 के [illegible] मृत्यु [illegible] है। जिनके जाईन्दा वारीस वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 है। उपरोक्त खसरा नम्बर [illegible] भूमि [illegible] वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 का जन्म से ही खातेदारी अधिकार नियत है। उपरोक्त [illegible] भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण सं. 1 के पिता का 1/3 हिस्से की [illegible] भूमि का [illegible] रूप से का[illegible]त करता [illegible] रहा है तथा अपने हक हिस्से की भूमि के चारो और नींव, सीं[illegible] कायम कर कास्त करता [illegible] रहा है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 के पिता चुन्नीलाल उर्फ पुसाराम की मृत्यु के पश्चात हम वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:44:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना–कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

एवं प्रतिवादीगण सं. 1 का कब्जा कास्त करते आ रहे है व हमारी यह पैतृक भूमि है। उपरोक्त भूमि का हम वादी व प्रतिवादीगण ने अपने अपने बंट व हक हिस्से कि भूमि को आपसी सहमति से कई वर्शा से बाट कर बंटवारा कर रखा है जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 मौके पर अपनी हक हिस्से की भूमि आपसी सहमति से भू–विभाजन कर अपने अपने हिस्से पर नींव सीव कायम कर अपनी सुविधानुसार काश्त करते आ रहे है। वादी उपरोक्त खसरा नं. की भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 के पिता का 1 / 3 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज चली आ रही है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 के पिता का 1 / 3 हिस्से की भूमि के काबिज खातेदार हैं तथा वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 3 अपनी सुविधानुसार मौके पर आपसी सहमति से कई वर्षो पूर्व से भू–विभाजन कर काश्त एवं उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। मौके पर आपसी सहमति से वादी अपने हक हिस्से की भूमि में खाद डालकर उपजाऊ बना रखी है एवं अपने अपने हक हिस्से की भूमि के चारों ओर बाड़, तारबन्दी इत्यादि कर काश्त करते आ रहे है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अविभाजीत होने के कारण किसान कार्ड, ऋण आदि में समस्या आती है। इसलिए वादी को भू विभाजन का वाद लाना आवश्यक हुआ है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 के पिता के नाम दर्ज खातेदारी में वादी एंव प्रतिवादीगण सं. 1 बह हिस्सा बराबर–बराबर खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी है। खसरा नं. 47 के पुर्वी दिशा की भूमि में वादी एंव प्रतिवादीगण सं. 1 की कृषि भूमि मे मौके पर कब्जा कास्त अनुसार व नजरी नक्शे मे स्थान A पर अकिंत है। बाद नाप चौक by meets & bounds भू विभाजन करवाकर separate holding करवाना चाहता है। जिससे भविष्य में बंटवारा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो। नजरी नक्शा वाद पत्र का एक भाग समझा जाये। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 मौके पर कब्जा काश्त व नजरी नक्शे मे स्थान A पर अकिंत अनुसार नक्शा ट्रेस मे तरमीम कराना चाहता है। अभी हाल ही में दिनांक 15 / 02 / 2025 के प्रतिवादीगण भू माफीया गिरोह से मिलकर वादी को ऐलानीया धमकी दी की राजस्व रिकॉर्ड मे हमारे नाम भी भूमि दर्ज है और हम उक्त भूमि को किसी अजनबी क्रेता को बेचान कर देगें जबकि प्रतिवादीगण को वादी की कब्जा काश्त अधिकारों की भूमि को बैचान करने का आज दिन कानूनन रूप से तनिक मा़त्र भी अधिकार प्राप्त नहीं है क्योकि वादी आज दिन अपने हक हिस्से कि कृषि भूमि पर गोवंश को चराने के लिये मकान बनाकर रहवास करता आ रहा है तथा अपनी हक हिस्से की कृषि भूमि को उपजाउ बनाकर काश्त करता आ रहा है तथा उक्त भूमि वादी की मौके पर मौखिक बटवारें के कब्जा काश्त की अधिकारों की भूमि स्थित रही है जिसमें कानूनन रूप से वादी को भू विभाजन करानें का अधिकार निहित है तथा उक्त भूमि वादी की अजीविका का एक मात्र साधन है तथा प्रतिवादीगण जबरन वादी के कब्जा काश्त अपने जायाज अधिकारो से महरूम करने के उदेश्य से एवं वादी को अपने हक हिस्से की भूमि का भू विभाजन [illegible] करने के उदेश्य से प्रेरित हो कर उक्त कृषि भूमि बैचान करने पर उतारू है [illegible] प्र[illegible]दीगण वादी के उक्त मौके पर कब्जा काश्त के अधिकारों की भूमि को बेचान करने के उदेश्य मे सफल हो गयें तो वादी के जायज अधिकारो पर भारी कु[illegible] एवं वादी को कभी भी पुर्ति नही होने वाली क्षति होगी वादी अपने जायज अधिकारों से व मौ[illegible]पर कब्जा काश्त के अधिकारों की भूमि से सदैव के लिए वचिंत हो जायेंगा इस लिए वादी ने अपने जायज अधिकारो एवं हितों की सुरक्षा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:44:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

व अपने हक हिस्सें की भूमि का भू विभाजन के लिए उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक समझा है।

इस्तदुआ वादी की निम्न प्रकार है:–

मौजा ग्राम मांगलोदी पटवार हल्का सरगोठ तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 47 रकबा 2.8600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.9300 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 3.7900 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 के पिता की भूमि का 1/3 हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इस आश्य की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर फरमाई जावे तथा वादी अपने हक हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त व नजरी नक्शे मे स्थान A पर अकिंत अनुसार बाद नाप चौक by meets & bounds भू विभाजन करवा कर separate holding व नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का आदेश तहसीलदार जी कुचामन सिटी को प्रदान करावें इस आशय की डिक्री बहकवादी विरूद प्रतिवादीगण सादिर फरमायें। मौजा ग्राम मांगलोदी पटवार हल्का सरगोठ तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 47 रकबा 2.8600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.9300 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 3. 7900 हैक्टेयर कृशि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 के पिता का 1/3 हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 की मौके पर कब्जा काश्त में उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखलबाजी न तो प्रतिवादीगण स्वंम करे तथा न ही किसी अन्य से करवें इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहकवादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमायें जावें।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 सरजू के फौत होने के कारण उनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेकर सम्मन जारी किये गये। कायम मुकाम प्रतिवादी संख्या 3/1, 3/2, 3/3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 01 मोहनी देवी ने इकबालीय जवाब प्रस्तुत कर वाद पत्र के पैरा को स्वीकार कर मौजा ग्राम मांगलोदी पटवार हल्का सरगोठ तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 47 रकबा 2.8600 हैक्टयर, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.9300 हैक्टयर कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.7900 हैक्टयर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या संख्या 1 के पिता चुन्नीलाल उर्फ पुसाराम के हक हिस्से की भूमि की खातेदारी दर्ज करने का आदेश तहसीलदार कुचामन सिटी को फरवाया जावे।

वकील वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम ग्राम मांगलोदी के खाता संख्या 31(नया) की नकल सम्वत् 2075–78 प्रस्तुत की। मौखिक साक्ष्य में वादी फूलराम व गवाह मूलाराम का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया।

वकील वादी के निवेदन पर विवादग्रस्त भूमि की रेकर्ड व मौका अनुसार रिपोर्ट पटवारी हल्का सरगोठ से रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चूनाराम पुत्र टीकूराम के वारिसान् खसरा नम्बर 47 के बिन्दु A पर 1.2633 हैक्टयर भूमि के हक हिस्से पर काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:44:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस दौरान वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड भू–विभाजन करवाकर सेपरेट होल्डिंग कायम किए जाने का निवेदन किया है। उपरोक्त वाद पत्र में अंकित तथ्यों अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 3/3 अपने हक हिस्से की भूमि पर शांति से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं तथा बंटवारा करवाकर अपना हक हिस्सा पृथक करवाना चाहते हैं। अन्य प्रतिवादीगण का अनुपस्थित रहना इस बात की ताईद करता है कि उन्हें उज्र एतराज नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि में वादी फूलाराम व प्रतिवादी संख्या 01 मोहनी देवी ने अपने पिता चुन्नीलाल उर्फ पूसाराम के हक हिस्से की भूमि में वादी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खातेदारी दर्ज कर सेपरेट होल्डिंग कायम करवाकर बंटवारा कराये जाने के कथन किये है। जिसकी पुष्टि उपलब्ध रेकार्ड, शपथ पत्र इत्यादि से होती है। अतः वाद वादी काबिल अंतिम डिक्री योग्य पाया गया, जो निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

–: आदेश :–

मौजा ग्राम मांगलोदी पटवार हल्का सरगोठ तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 47 रकबा 2.8600 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी फूलाराम व प्रतिवादी संख्या 01 मोहनी देवी को उनके पिता चूनाराम पुत्र टीकूराम के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। संलग्न पटवारी हल्का रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का सेपरेट होल्डिंग कायम कर बंटवारा किया जावे। नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। बंटवारा पर देय निर्धारित शुल्क प्राप्त होने पर तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/03/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:44:14 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला–डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I,** (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– **47 / 2025** GCMS 2025/92

वादीः–

1. फूलाराम पुत्र श्री चुन्नीलाल उर्फ पुसाराम जाति बावरी निवासी ग्राम मांगलोदी तहसील कुचामन सिटी, हाल निवासी रामसागर कॉलोनी, बोरावड तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन राज.।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. मोहनी देवी पुत्री चुन्नीलाल उर्फ पुसाराम जाति बावरी निवासी रामसागर कॉलोनी, बोरावड तहसील मकराना।
2. नानूदेवी पत्नी प्रभुराम जाति बावरी
3. सरजू देवी पत्नी भंवरलाल जाति बावरी निवासियान ग्राम मांगलोदी तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान।
4. उपपंजीयन अधिकारी तहसील कुचामन सिटी
5. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार जी कुचामन सिटी

वाद वास्ते इस्तकरार हक, भू–विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री बिरमाराम चौधरी अधिवक्ता हाजिरी............. मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाकर मौजा ग्राम मांगलोदी पटवार हल्का सरगोठ तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के खसरा नम्बर 47 रकबा 2.8600 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी फूलाराम व प्रतिवादी संख्या 01 मोहनी देवी को उनके पिता चूनाराम पुत्र टीकूराम के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। संलग्न पटवारी हल्का रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का सेपरेट होल्डिंग कायम कर बंटवारा किया जावे। नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। बंटवारा पर देय निर्धारित शुल्क प्राप्त होने पर तहसीलदार कुचामन सिटी को तहरीर जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24 माह 03 सन् 2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:44:14 IST
Reason: SelfAttested

(मुहर)

दस्तखत..............................
ओहदा.............................. उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		

स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी (राज.) कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.08 14:44:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)